



2026:AHC: 52670-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 30247/2025**

तरुण कुमार कौशिक .....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य .....प्रतिवादी(गण)

---

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता: शशि रंजन श्रीवास्तव

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 45**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता**

**माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बार में यह बयान दिया है कि उनका इरादा इस याचिका को आगे बढ़ाने का नहीं है और वे इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त बयान के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

**(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)**

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



16 मार्च, 2026

के.यू.

Translated Version. Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**